भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1329

11.12.2025 को उत्तर के लिए

एनसीआर में निरंतर वायु प्रदूषण

1329 श्री कपिल सिब्बलः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली और उसके उपनगरीय शहरों में औसत एक्यूआई स्तरों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार ने वर्ष 2025 में खरीफ फसलों की कटाई के मौसम के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के दौरान एनसीआर राज्यों के लिए एनसीएपी के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): दिल्ली और निकटवर्ती शहरों सहित एनसीआर में प्रमुख शहरों का औसत एक्यूआई स्तर **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) 130 अवमानक और 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक शहरों/शहरी समूहों में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।

एनसीएपी के तहत प्रदान की गई निधियों का उपयोग शहरों/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मिट्टी और सड़क धूल, वाहनीय उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाने, विनिर्माण और विध्वंस गतिविधियों और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए औद्योगिक प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण स्रोतों के निपटान हेतु शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाता है।

एनसीएपी के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि वायु गुणवत्ता प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिसमें निर्धारित मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना, वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित सुधार उपायों और कार्य योजना को लागू करना शामिल है। शहर कार्य योजना के अनुसार खर्च की जाती है,

दिल्ली-एनसीआर में एनसीएपी शहरों में से, पंजाब और हरियाणा के 10 शहर (हरियाणा से फरीदाबाद और पंजाब के 9 शहर: लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट/डेरा बाबा नानक, नया नंगल, जालंधर, खन्ना, मंडी गोबिंदगढ़, पटियाला और डेरा बस्सी) पराली जलाने के मुद्दे का सामना करते हैं, और कृषि क्षेत्र से घिरे हुए हैं, और धान और गेहूं के मौसम के बाद बहुत सारे कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। गेहूं के मौसम के दौरान, पराली जलाना धान के मौसम की तुलना में कम होता है क्योंकि किसान मवेशी चारे के रूप में गेहूं की फसल के अवशेषों का उपयोग करते हैं।

उपरोक्त 10 शहरों की कार्य योजनाओं में पराली जलाने से संबंधित कार्य, अर्थात् पराली जलाने की घटनाओं की वास्तविक समय निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर को शामिल करना, रिपोर्ट की गई साइटों को सत्यापित करने और उल्लंघनकर्ताओं को चालान जारी करने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन, संयुक्त कटाई करने वालों के साथ सुपर एसएमएस का उपयोग करना, किसानों के लिए स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए बिजली सुनिश्चित करना, धान के पुआल के यांत्रिक पुनर्निगमन को बढ़ावा देना (छोटे टुकड़ों में काटने के बाद खेत में धान के पुआल को मिलाना) तथा किसानों की अपशिष्ट जलाने के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

एनसीआर राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली) को 829.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और एनसीएपी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 779.59 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

एनसीएपी शहरों की शहर कार्य योजना में पराली/बायोमास/अपशिष्ट जलने से संबंधित कार्य योजना को शामिल करने के अलावा, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों (सीएक्यूएम) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अलावा वैधानिक निर्देशों की संख्या के माध्यम से पराली जलाने की गहन निगरानी की जाती है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 11.07.2023 की यथा संशोधित, अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित पर्यावरण (तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग) नियम, 2023 जिसमें एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयला अवशेषों सहित कृषि फसल अवशेषों से बने पैलेट या ब्रिकेट के न्यूनतम पांच प्रतिशत मिश्रण को अनिवार्य किया गया है।

(ii) माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2025 को फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के मुद्दों पर मंत्री स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई थी;

(iii) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2025, 16.09.2025, 10.10.2025 और 11.11.2025 को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं, ताकि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए वायु प्रदूषण उपशमन उपायों और कार्यनीतियों के उपक्रम पर विचार-विमर्श किया जा सके;

(iv) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) धान के पुआल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टोरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(v) सीएक्यूएम ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसी) और विभिन्न अन्य हितधारकों जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) आदि के परामर्श से पराली जलाने की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा तैयार की।

(vi) आयोग द्वारा जारी परामर्श की रूपरेखा के आधार पर, दिनांक 10.06.2021 के दिशा-निर्देशों के माध्यम से और वर्ष 2021, 2022, 2023 तथा 2024 की सीख के आधार पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने वर्ष 2025 के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार की।

(vii) वर्ष 2025 के दौरान धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य संरचना और कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों को वैधानिक निर्देश जारी किया गया था, जिसके सख्त प्रवर्तन के माध्यम से इस कार्य प्रणाली को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

(viii) राज्य कार्य योजना का उद्देश्य धान के भूसे के उत्पादन को कम करने के लिए संधारणीय कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। इस योजना के प्रमुख उपायों में इसके इष्टतम उपयोग के लिए सीआरएम मशीनों की खरीद; फसल विविधीकरण; बासमती किस्म को बढ़ावा देना क्योंकि इसका उपयोग आसानी से मवेशी चारे के रूप में किया जाता है; निम्न गुणवत्ता वाले पुआल और जल्दी परिपक्व होने वाली धान किस्मों को बढ़ावा देना; धान की कटाई और गेहूं, आलू, सरसों आदि जैसी रबी फसल की बुवाई के बीच समय सीमा को बढ़ाने के लिए आईईसी कार्यकलाप; और समग्र फसल चक्र आदि को कम करने के लिए रोपण की जगह चावल की सीधी सीडिंग को बढ़ावा देना।

(ix) आयोग द्वारा निर्देशित, इसरो ने अग्नि घटनाओं/गणना के विविध आंकलन से बचने के लिए, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं और जले हुए धान क्षेत्र के अनुमान की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए आईएआरआई सहित प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एक मानक प्रोटोकॉल तैयार किया गया।

(x) आयोग ने "बहि-स्थाने पराली प्रबंधन" और "पारिस्थितिकी प्रणाली तथा मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने के लिए पराली जलाने की समस्या से निपटने हेतु पुआल के बहि-स्थाने उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बायोमास पैलेट (5 से 10%) की को-फायरिंग को अनिवार्य करने हेतु" दिल्ली के 300 किमी के भीतर स्थित 11 तापीय विद्युत संयंत्र पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों को निर्देश और परामर्शिका जारी की है। एनसीआर में कोयला आधारित कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए है।

(xi) आयोग ने पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों को एनसीआर से परे जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान के भूसे आधारित जैव-द्रव्यमान पैलेट/ब्रिकेट के उपयोग को खुले में धान के पराली जलाने की प्रणाली को समाप्त करने के साधनों में से किसी एक के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश दिया।

(xii) आयोग ने छोटे/सीमांत किसानों के लिए सीआरएम मशीनों की किराया-मुक्त उपलब्धता की योजना बनाने का निर्देश दिया।

(xiii) आयोग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को और प्रभावी प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारियों और स्टेशन हाउस अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के संबंध में निष्क्रियता के मामले में क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए दिल्ली के एनसीटी को अधिकृत करने के निर्देश जारी किए हैं।

(xiv) सीपीसीबी से उड़न दस्तों की एक टीम को पंजाब और हरियाणा के हॉटस्पॉट जिलों में दिनांक 01-10-2025 से दिनांक 30-11-2025 तक प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि कार्यों की बारीकी से निगरानी की जा सके और जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों/सीएक्यूएम सेल के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

(xv) धान की फसल के मौसम के दौरान धान की पराली की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था।

समन्वित प्रयासों से, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने वर्ष 2022 में इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2025 में धान की कटाई के मौसम के दौरान सामूहिक रूप से आग की घटनाओं में लगभग 90% की कमी हुई है।

अनुलग्नक I

अक्टूबर, 2025 में दिल्ली और उपग्रह शहरों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	अक्टूबर 2025 के महीने के लिए औसत एक्यूआई
1	दिल्ली	दिल्ली	223
2	हरियाणा	बहादुरगढ़	220
3		बल्लभगढ़	241
4		भिवानी	151
5		चरखी दादरी	163
6		धारूहेड़ा	235
7		फरीदाबाद	145
8		गुरुग्राम	190
9		जींद	159
10		करनाल	156
11		मंडीखेरा	89
12		मानेसर	184
13		नारनौल	151
14		पलवल	95
15		पानीपत	182
16		रोहतक	209
17		सोनीपत	253
18	राजस्थान	अलवर	95
19		भरतपुर	138
20		भिवाड़ी	205
21	उत्तर प्रदेश	बागपत	198
22		बुलंदशहर	180
23		गाज़ियाबाद	227
24		ग्रेटर नोएडा	223
25		हापुड़	194
26		खुर्जा	129
27		मेरठ	202
28		मुजफ्फरनगर	180
29		नोएडा	236
